महत्वपूर्ण एवं खास

रायगढ़ जिला संपूर्ण क्षेत्र अब 5 जून तक रहेगा कंटेनमेंट जोन

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर रायगढ़ संपूर्ण जिला क्षेत्र को 31 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। उन्होंने इस अवधि को बढ़ाते हुये रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 5 जून 2021 रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में रायगढ़ जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। यह आदेश 31 मई 2021 की रात्रि 12 बजे से लागू होगा। अतः इस आदेश के अंतर्गत अनुमति प्राप्त गतिविधियों का संचालन उसी अनुसार किया जा सकेगा। जारी आदेश के अनुसार निजी निर्माण कार्य की सशर्त अनुमति होगी। श्रमिकों को मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित रूप से सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 के गाईड लाईन नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों एवं तिरपाल (प्लास्टिक शीट)से संबंधित दुकानों का संचालन की अनुमति प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक किया जा सकेगा।

वर्चुअल डाक अदालत 21 जून को

रायगढ़ । भारतीय डाक विभाग से ही अपने ग्राहकों को उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है फिर भी कई बार कुछ कारणवश सेवाओं में कमियां रह जाती है, जिसकी विभाग को शिकायतें मिलती है, जिनका त्वरित निपटान करने का प्रयास किया जाता है साथ ही शिकायतों के निपटान हेतु डाक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में भारतीय डाक विभाग के रायगढ़ संभाग द्वारा 21 जून 2021 को प्रातः 11 बजे कार्यालय अधीक्षक डाकघर, पंजाब नेशनल बैंक, अनाथालय रोड रायगढ़ में वर्चुअल डाक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं से काउंटर सेवा, बचत बैंक, मनी आर्डर, स्पीड पोस्ट, डाक जीवन बीमा इत्यादि में आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की जायेगी। इच्छुक उपभोक्ता डाक सेवा से संबंधित अपनी शिकायत पूर्ण विवरण (शिकायत का नाम, पता, मोबाइल नंबर)के साथ अधीक्षक, रायगढ़ संभाग रायगढ़ को 14 जून 2021 या उससे पहले भेज सकते है।

सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिये बीएड, डीएड के साथ टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य

रायगढ़ । सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी 2014 को जारी निर्देश अनुसार दिवंगत के आश्रित को अनिवार्य शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता (बीएड/डीएड)के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)निर्धारित अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में नियम में उल्लेखित निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक एवं अन्य अर्हताओं के बिना सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय किये जाने का प्रावधान नहीं है। सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में उल्लेखित अर्हतायें होना आवश्यक है।

डॉ.शक्राजीत नायक का निधन अपूरणीय क्षति-बैजनाथ चंद्राकर

रायगढ़ । रायगढ़ एवं सरिया विधानसभा के पूर्व विधायक एवं पूर्व सिंचाई मंत्री डॉ.शक्राजीत नायक के निधन पर अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर (केबिनेट मंत्री दर्जा छ.ग.शासन) ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुये कहा कि मैने एक अच्छा मित्र खो दिया है। डॉ.नायक उच्च शिक्षित एवं बहुत ही व्यवहारिक जननेता थे। उनका निधन हम सबके लिये अपूरणीय क्षति है।

घरघोड़ा पुलिस के हाथ आये दो शातिर बाइक चोर, आरोपियों से 8 दुपहिया बरामद

» घरघोड़ा, लैलूंगा, तमनार, पूंजीपथरा से चोरी की है बाइक

» जब्त बाइक की कीमत करीब ढाई लाख रूपये

घरघोड़ा। थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में कल दिनांक 30/05/2021 को घरघोड़ा पुलिस द्वारा लैलूंगा रोड औराईमुडा चौंक पर अवैध कबाड़ लोड़ ट्रक को पकड़ा गया था। आज स्टाफ द्वारा घरघोड़ा तथा आसपास के क्षेत्र में बाइक चोरी करने वाले दो शातिर बदमाशों को पकड़ा गया है जिनके कब्जे से 8 दुपहिया करीब ढाई लाख रुपए के बरामद किए गए हैं। आरोपियों से जप्त तीन दुपहिया के संबंध में घरघोड़ा थाने में चोरी का अपराध दर्ज है, शेष अन्य बाइक धारा 41(1+4) सीआरपीसी/379,34 आईपीसी के तहत जप्त कर आरोपियों पर कार्यवाही की गई है।

जानकारी के अनुसार थाना घरघोड़ा में बाइक चोरी के संबंध में दर्ज अपराध क्रमांक 101/2021 धारा 457, 380 भादवि एवं 138/2021 धारा 379 भदवि की विवेचना दौरान टीआई अमित सिंह को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि चौकी रैरूमा क्षेत्र के दो लड़के हेमंत निषाद व भुनेश्वर यादव निवासी ग्राम कटाईपाली-डी पर बाइक चोरी का संदेह व्यक्त किया गया, जिस पर दोनों को स्टाफ थाने लाकर कड़ी पूछताछ किया गया जिस पर दोनों द्वारा बताये कि 3 माह पूर्व लैलूंगा बस स्टैंड से दो नग साइन, लैलूंगा पतरापारा से एक डिस्कवर मोटरसाइकिल एवं ग्राम टेरम से एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल, तमनार लिब्रा स्कूल पास एक टीवीएस मोटरसाइकिल, 1 माह पूर्व ग्राम अस्लीडीह के घर से एक्टिवा स्कूटी नंबर सीजी13-ब्ही-8769 एवं 10 दिन पूर्व लैलूंगा रोड घरघोड़ा से एक हीरो हांडा पैशन प्रो, पूंजीपथरा रूपाना धाम के पास से प्लैटिना मोटरसाइकल को चोरी कर ले जाना और आपस में दोनों बांट लेना बताए। आरोपियों से जप्त एक्टिवा क्रमांक सीजी 13-व्ही-8769 थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 101 /21 धारा 457, 380 भादवि एवं एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल सीजी13-डब्ल्यू-4847 अपराध क्रमांक 138 /21 धारा 379 तथा अपराध क्रमांक 140 /21 धारा 379 में एचएफ डीलक्स मोटरसाइकल जप्त किया गया है। आरोपी हेमंत निषाद पिता प्रहलाद निषाद उम्र 21 वर्ष एवं भुनेश्वर यादव पिता रूप सिंह यादव उम्र 19 वर्ष दोनों निवासी कटाईपाली-डी चौकी रैरूमा थाना धर्मजयगढ़ के कब्जे से चोरी के मोटरसाइकिल प्लेटिना, डिस्कवर, टीवीएस स्पोर्ट, हांडा सीबी साइन मोटरसाइकिल, हांडा एसपी साइन मोटरसाइकिल चोरी के मोटरसाइकिल होने के संदेह पर धारा 41(1+4) सीआरपीसी/379,34 भादवि के तहत जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों से जप्त दुपहिया की कुल कीमत करीब ढाई लाख रूपये के आसपास की है। टीआई अमित सिंह के साथ कार्यवाही में उप निरीक्षक एडमोन खेस, सहायक उप निरीक्षक चंदन नेताम, प्रधान आरक्षक चिंतामणि कुर्रे, देव प्रसाद राठिया, आरक्षक विरेन्द्र भगत, नंद कुमार पैंकरा की सराहनीय भूमिका रही है।

कलेक्टर की पहल पर संविदा कर्मचारी स्वर्गीय विभूति भूषण मिश्रा के परिजनों को अनुकम्पा अनुदान राशि प्रदाय की गई

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह की पहल पर राजीव गांधी शिक्षा मिशन के संविदा कर्मचारी स्वर्गीय विभूति भूषण मिश्रा (लेखापाल) बी.आर.सी.कार्यालय खरसिया जिला रायगढ़ को कोविड-19 की बीमारी से ग्रस्त होने के कारण हुई मृत्यु की वजह से सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के क्षतिपूर्ति प्रावधान अनुसार एकमुश्त अनुकंपा अनुग्रह राशि रुपए एक लाख का धनादेश (क्षतिपूर्ति राशि) प्रदाय की गई। बता दें कि, सामान्य प्रशासन के नए प्रावधान अनुसार ऐसे संविदा कर्मचारी जिन्होंने संविदा कर्मचारी के रूप में अपनी 2 साल की सेवा पूर्ण कर ली हो और जिनकी मृत्यु कोविड की वजह से हुई हो, उन्हें एक मुश्त अनुकंपा अनुदान राशि रुपये एक लाख (क्षतिपूर्ति) प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। जिसके तहत यह राशि प्रदाय की गई है। कलेक्टर भीम सिंह की पहल पर डीईओ आर.पी.आदित्य व डीएमसी रमेश देवांगन के प्रयासों से दिवंगत संविदा कर्मचारी स्वर्गीय विभूति भूषण मिश्रा की पत्नी श्रीमती रचना मिश्रा को एक लाख रुपये की यह राशि प्रदाय की गई। उक्त एक लाख रुपये राशि का धनादेश डीएमसी रमेश देवांगन व साक्षरता मिशन के डी.के. वर्मा द्वारा दिवंगत के घर जाकर प्रदाय की गई है।

40 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

सरिया। दिनांक 30/05/2021 के शाम थाना सरिया स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम दादरपाली तालाब मोड के पास रामजी चौहान पिता नरसिंह चौहान उम्र 40 वर्ष साकिन दादरपाली थाना सरिया को लकड़ी के कांवर पर दोनों ओर दो प्लास्टिक पत्री में भरकर महुआ शराब लाते हुए पकड़े। सरिया पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भकुर्रा जंगल से शराब कांवर में लेकर निकला है। जिस पर थाना प्रभारी निरीक्षक मार्कण्डेय के निर्देशन पर कार्यवाही के लिये पुलिस पार्टी ग्राम दादरपाली तालाब मोड के पास आरोपी को पकड़ा। आरोपी रामजी चौहान कांवर के दोनों ओर 20-20 लीटर महुआ शराब रखा हुआ था जिसे भकुर्रा जंगल से बिक्री करने लेकर आना बताया। आरोपी से कुल 40 लीटर महुआ शराब, कीमत 8000 रूपये की जप्ती कर आरोपी पर थाना सरिया में 34(2),59(क)

आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है। कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक विमल यादव, आरक्षक, मुकेश साहू, रामजीलाल सारथी, राज कुमार साव, भोजराम नट, सत्यम कुमार मंडलोई शामिल थे।

मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने में जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर

» मई तक के लक्ष्य का 200 प्रतिशत कर लिया हासिल

रायगढ़, 31 मई 2021/ महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार उपलब्ध कराने में रायगढ़ जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। जिले में मानव दिवस सृजन के मई माह तक के लक्ष्य का 200 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है। जिले को योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 35.53 लाख मानव दिवस का लक्ष्य राज्य कार्यालय से मिला है। माह मई की स्थिति में राज्य कार्यालय से निर्धारित लक्ष्य 8.80 लाख मानव दिवस के विरूद्ध जिला के द्वारा 18.01 लाख मानव दिवस का सृजन कर लिया गया है जो माह मई की स्थिति में लक्ष्य का 200

प्रतिशत एवं मार्च 2022 की स्थिति में 50.70 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यों नवीन तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण कार्य, भूमि सुधार कार्य, डबरी निर्माण कार्य, कुंआ निर्माण कार्य, मिट्टी सड़क निर्माण कार्य, गाय, मुर्गी एवं बकरी कोठा निर्माण कार्य जो मनरेगा के तहत् स्वीकृति योग्य है उन समस्त कार्यों को अधिक से अधिक संख्या में स्वीकृत किया गया है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के आधार पर पर्याप्त कार्य उपलब्ध है। इसी प्रकार मनरेगा के क्षेत्रीय अमला अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप अभियंता, तकनीकी सहायक एवं ग्राम रोजगार सहायकों को संलग्न किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ रवि मित्तल के निर्देशानुसार योजनांतर्गत स्वीकृत समस्त कार्यों को खोल दिया गया है। जिला पंचायत रायगढ़ एक लाख मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अगले सप्ताह तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जावेगा। सर्वाधिक मजदूरों को योजनांतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने से ग्रामीण क्षेत्रों में वैश्विक महामारी (कोविड-19) काल में लाभ मिल रहा है। वर्तमान में वैश्विक महामारी (कोविड-19) के कारण रोजगार में भारी कमी आई है परन्तु रायगढ़ जिला अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत मजदूरों जो महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत पंजीकृत है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में आवश्यकतानुसार कार्य उपलब्ध कराये जा रहे है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर बाल संप्रेक्षण गृह तथा बालिका गृह चक्रधर बाल सदन में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन

रायगढ़ । जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के अध्यक्ष रमाशंकर प्रसाद के दिशा-निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग एवं समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर, बालक/बालिका गृहों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया।

कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में विजिटर ज्वाइंडेड सेल जिला न्यायालय रायगढ़ शक्ति सिंह राजपूत द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिग्विजय सिंह के द्वारा गत दिवस बाल संप्रेक्षण गृह तथा

बालक/बालिका गृह जैसे चक्रधर बाल सदन, नीलांचल बाल गृह, आशियाना (खुला आश्रय गृह), मातृ-निलियम (विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्सी) नई उम्मीद, विशेष बालगृह का निरीक्षण किया गया तथा बच्चों के कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से पत्राचार कर, उनके सहयोग से मेडिकल टीम गठन उपरान्त स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 29 मई 2021 को बाल संप्रेक्षण गृह में निवासरत बालकों के लिये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराया गया। जिसके अन्तर्गत कुल 13 बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ तथा उसी अनुक्रम में 31 मई 2021 को बालिका गृह चक्रधर बाल सदन में निवासरत 77 बालिकाओं की स्क्रीनिंग एवं जॉच परीक्षण हेतु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बाल गृहों में निवासरत कुल 80 बच्चे आयोजित स्वास्थ्य शिविर से लाभान्वित हुए।

शिविर में प्रभारी सचिव दिग्विजय सिंह सहित चिकित्साधिकारी डॉ.काकोली पटनायक एवं डॉ. सुमित गुप्ता की टीम एवं दीपक डनसेना, जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं बालगृहों के अधीक्षक तथा उनके स्टॉफ उपस्थित रहे।

युवती से दुष्कर्म और मारपीट का आरोपी गिरफ्तार

घरघोड़ा। थाना घरघोड़ा में दिनांक 26/05/2021 को थानाक्षेत्र की युवती द्वारा उसके गांव के संजय तिर्की 40 वर्ष द्वारा शारीरिक संबंध बनाने के बाद कानूनी कार्यवाही से बचने पंचायत के सामने शादी कर पत्नी बनाकर रखने की बात कबूल कर अपनी पत्नी के साथ उसके घर में तरह-तरह से यातनाएं देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पीड़ित युवती बताई कि पिछले साल दिन तारीख याद नहीं है, संजय तिर्की के दुकान के पास सार्वजनिक बोरिंग में पानी भरने गई थी, उस समय संजय दुकान पर बुलाकर डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाया था। उसके बाद से जब कभी अकेले देखता और अपने घर ले जाकर संबंध बनाता। फरवरी महीने में तबियत खराब होने पर युवती अपनी मां को संजय के कुकर्म बताई तो गांव में पंचायत किये, पंचों के समक्ष संजय जो विवाहित है अपनी दूसरी पत्नी बनाकर अच्छे से रखूंगा कहकर अपने घर ले गया। उसके घर में उसकी पत्नी सिलमिना तिर्की और संजय तिर्की काफी दिनों तक घर को बाहर से बंद कर चले जाते और आने के बाद झगड़ा मारपीट करते थे। पीड़िता के लिखित आवेदन पर आरोपी संजय तिर्की और उसकी पत्नी सिलमिना तिर्की के विरूद्ध अप.क्र. 135/2021 धारा 376, 342, 506, 323, 34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

विवेचना दरमियान आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी अमित सिंह द्वारा आरोपी के गांव जाकर दबिश दिया गया। आरोपी व उसकी पत्नी रिपोर्ट होने की जानकारी पर फरार थे, आज मुखबिर सूचना पर आरोपी संजय तिर्की को हिरासत में लिया गया। प्रकरण में पीड़िता का मुलाहिजा रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर धारा 313, 120बी ताहि जोड़ी गई है। आरोपी संजय तिर्की को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण की सह आरोपिया सिलमिना तिर्की फरार है जिसकी पतासाजी की जा रही है।

उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल की पहल पर कर्नाटक में बंधक श्रमिक परिवारों की जल्द होगी सकुशल वापसी

रायगढ़। बीते दिनों पुसौर ब्लॉक के बुनगा गांव के एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों के कर्नाटक के कोलार जिले के श्रीनिवासपुर गांव में एक ठेकेदार द्वारा बंधक बना लिए जाने की सूचना मिली थी। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कलेक्टर भीम सिंह को ग्रामीणों के सकुशल वापसी के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर सिंह ने मामले के संज्ञान में आते ही तत्काल कलेक्टर कोलार से बात कर जिले के ग्रामीणों के वहां बंधक बना लिए जाने के बारे में उन्हें अवगत कराया तथा शीघ्र सभी लोगों को रिहा करवाते हुए रायगढ़ भेजने की व्यवस्था का अनुरोध किया। जिसके पश्चात कलेक्टर कोलार ने वहां के श्रम अधिकारी को श्रीनिवासपुर जाकर ग्रामीणों की जल्द रिहाई के लिए कहा। अगले 1 से 2 दिनों जिले के ग्रामीणों की वहां से वापसी हो जाएगी। कलेक्टर सिंह ने वहां फंसे ग्रामीणों से भी बात की और उन्हें बताया कि स्थानीय प्रशासन को सारी सूचना दे दी गयी है उनकी सहायता से सभी ग्रामीणों की जल्द वापसी हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पुसौर ब्लाक के बुनगा गांव से 6 पुरुष, 6 महिलाएं व 7 बच्चे कर्नाटक के श्रीनिवासपुर गांव एक ठेकेदार के माध्यम से काम की तलाश में कर्नाटक पहुंचे थे। जिन्हें वहां उक्त ठेकेदार द्वारा बंधक बना लिया गया था। पुसौर ब्लाक के पुनीराम, सोनीनाथ सहित अन्य लोगों ने यह जानकारी जिला प्रशासन से साझा की। जिसमें उन्होंने बताया कि गांव के मधुसुदन रजक, पद्मा रजक, दिपेश कुमार, लक्ष्मीकांत रजक, मातेश्वरी, खुशहाल, छोटीज, थकीर रजक, जमुना रजक, मयंक, दुर्बल निषाद, पार्वती, प्रियंका, संजय कुमार, कुंदा बरेठ, सोमेस कुमार, जतु बाई एवं ओम प्रकाश को कर्नाटक में ठेकेदार द्वारा बंधक बना लिया गया है।

तंबाकू जानलेवा है आओ तंबाकू मुक्त समाज बनाएं

» तंबाकू निषेध दिवस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने ली शपथ

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह के दिशा-निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के मार्गदर्शन में आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इस मौके पर कार्यालय के समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को शपथ ग्रहण कराया गया व सभी कार्यालयीन स्टाफ को निर्देशित किया गया कि कार्यालय में किसी भी प्रकार का धुम्रपान एवं तंबाकू पदार्थो का सेवन करना मना है एवं कोई भी ऐसा करते पाये गये तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। कार्यालय को तंबाकू रहित कार्यालय बनाये रखने हेतु निर्देश दिये गये।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में संदेश दिया कि तंबाकू उपयोग के नकारात्मक प्रभावों के बारें में जनजागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक अभियान का आयोजन 1987 से प्रारंभ किया गया। यह प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे विश्व में किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन पूरी तरह से रोकने अथवा कम करने के लिये लोगों को बढ़ावा देने तंबाकू उपयोग के नकारात्मक प्रभाव के संदेश को

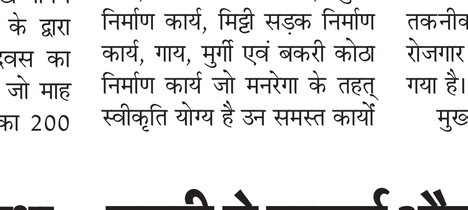

फैलाने के लिये वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। हम जानते है कि तंबाकू में निकोटिन नामक रसायन पाया जाता है। जिसके कारण व्यक्ति को तंबाकू सेवन की आदत या लत पड़ जाती है साथ ही तंबाकू में 4000 घातक रसायन पाया जाता है। जो हमारे शरीर एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है जैसे-निकोटिन अमोनिया, कार्बन मोनो ऑक्साइड, आर्सेनिक, मेथानॉल आदि। अतएव कोई व्यक्ति अगर तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करता है, तो वह अपने जीवन का 15 वर्ष कम कर लेता है। तंबाकू का उपयोग लोगों द्वारा कई रूपों में किया जाता है जैसे-सिगरेट, शिगार, बीड़ी, गुड़ाखू, सुट्टा, हुक्का, गुटखा, पान मसाला, पेस्ट आदि इस प्रकार के किसी भी सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

तंबाकू के नोडल अधिकारी डॉ. टी.के.टोण्डर ने बताया कि तंबाकू का सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य में कई रूपों में प्रभाव डालता है जब व्यक्ति इसका सेवन करता है, तब वह अपने उम्र से ज्यादा दिखने लगता है उसके दांतो का रंग खराब हो जाता है उसके मुँह से बदबू आने लगता है। अगर पुरूष इसका सेवन अत्यधिक करने लगे तो उनमें नपुंसकता का संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार ही यदि महिला भी इसका अत्यधिक सेवन करने से उनमें बांझपन व गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। अगर तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के बारें में देखे तो यह तथ्य सामने आता है कि इसके सेवन से मनुष्य को 61 प्रकार की बीमारियाँ होती है जैसे-मुँह व गले का कैंसर, फेफड़ों से संबंधित बीमारी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह दिल का दौरा व स्ट्रोक की उच्च संभावना कैलेस्ट्रोल का बढ़ना कफ की बीमारी, टीबी, शारीरिक ऊर्जा में गिरावट अथवा कम सहन शक्ति, मूत्राशय संबंधी आदि प्रमुख होती है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480